

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

का.आ.सं. 72

दिनांक: 13-01-2014

कार्यालय आदेश

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या 1-स्टाफ विंग/2014 संख्या 10-स्टाफ (नियुक्ति-II) 63-2014 दिनांक 06/01/2014 के तहत प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों तथा स्टाफ के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं पदस्थापन बोर्ड का गठन किया गया है:-

- (1) ग्रुप-‘बी’ (अराजपत्रित) तथा ग्रुप-‘सी’ कर्मचारियों के इंट्रा ऑफिस स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु स्थानान्तरण एवं पदस्थापन बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगा-
1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ - पदेन सदस्य/सचिव  
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
  2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ - सदस्य  
लेखापरीक्षा अधिकारी (IHQ)
  3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ - सदस्य  
लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)

उपरोक्त में से वरिष्ठतम सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा समूह अधिकारी (निदेशक/उपनिदेशक) accepting authority होंगे। यदि वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.) वरिष्ठतम हैं तो अध्यक्ष एवं सचिव का संयुक्त दायित्व उन्हीं को निभाना होगा।

- (2) ग्रुप-‘बी’ (राजपत्रित) अधिकारियों के इंट्रा ऑफिस स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु स्थानान्तरण एवं पदस्थापन बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगा-

1. निदेशक/उपनिदेशक - पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ - सदस्य/सचिव  
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ - सदस्य  
लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)

ग्रुप-‘बी’ (राजपत्रित) अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु प्रधान निदेशक महोदय accepting authority होंगे।

ग्रुप-‘बी’ (अराजपत्रित) एवं ग्रुप-‘सी’ कर्मचारियों तथा ग्रुप-‘बी’ (राजपत्रित) अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु संबंधित स्थानान्तरण एवं पदस्थापन बोर्ड द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश (guidelines) तैयार किये जायेंगे तथा यह दिशा-निर्देश (guidelines) दिनांक 25-01-2014 तक उपनिदेशक को प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके पश्चात् ग्रुप-‘बी’ (अराजपत्रित) एवं ग्रुप-‘सी’ हेतु इनको Final कर उपनिदेशक स्तर पर जारी किये जायेंगे। ग्रुप-‘बी’ (राजपत्रित) हेतु प्रधान निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् यह उपनिदेशक स्तर पर जारी किये जायेंगे। समस्त प्रक्रिया दिनांक 31-01-2014 तक पूर्ण की जानी है।

यह प्रधान निदेशक महोदय से अनुमोदित है।


- हस्ता -  
उपनिदेशक (प्रशा.)

संख्या: लेप/जेपी/मु./प्रशा./IX/1/2014/5696

दिनांक 15-01-2014

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय आदेश पंजिका।
2. सचिव, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।
3. सचिव उपनिदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय), उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (IHQ), उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

रा. का.आ.सं. 50

दिनांक: 28-01-2014


कार्यालय आदेश

विषय:- युप-बी (राजपत्रित) अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु दिशा-निर्देश।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या 1-स्टॉफ विंग/2014 संख्या 10-स्टॉफ (नियुक्ति-II) 63-2014 दिनांक 06-01-2014 के तहत प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों तथा स्टॉफ के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 72 दिनांक 13-01-2014 की निरन्तरता में युप-बी (राजपत्रित) अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. These guidelines will apply to all transfers in public interest.
2. The minimum tenure of the posting would be two years.
3. Posting for two years would be in a post.
4. A post implies posting at Bikaner, Ajmer, Jodhpur and Jaipur in view of the administrative arrangements currently applicable to office of the Principal Director of Audit, North Western Railway, Jaipur.

In case of any difficulty in operation of the guidelines the powers to relax the conditions will be vested with the Principal Director of Audit, North Western Railway, Jaipur.

  
उपनिदेशक (प्रशा.)-1-14  
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

संख्या: लेप/जेपी/मु./प्रशा./IX/1/2014/58 78

दिनांक: 24-01-2014  
28

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय आदेश पंजिका।
2. सचिव, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।
3. सचिव, उपनिदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।
4. सभी शाखाधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, AAO, I T, जयपुर

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

का.आ.सं. 75

दिनांक: 28-01-2014


कार्यालय आदेश

विषय:- ग्रुप- 'बी' (अराजपत्रित) एवं ग्रुप- 'सी' स्टाॅफ के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु दिशा-निर्देश।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या 1-स्टाॅफ विंग/2014 संख्या 10-स्टाॅफ (नियुक्ति-II) 63-2014 दिनांक 06-01-2014 के तहत प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों तथा स्टाॅफ के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 72 दिनांक 13-01-2014 की निरन्तरता में ग्रुप- 'बी' (अराजपत्रित) तथा ग्रुप- 'सी' स्टाॅफ के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. These guidelines will apply to all transfers in public interest.
2. The minimum tenure of the posting would be two years.
3. Posting for two years would be in a post.
4. A post implies posting at Bikaner, Ajmer, Jodhpur and Jaipur in view of the administrative arrangements currently applicable to office of the Principal Director of Audit, North Western Railway, Jaipur.

In case of any difficulty in operation of the guidelines the powers to relax the conditions will be vested with the Principal Director of Audit, North Western Railway, Jaipur.

  
उपनिदेशक (प्रशा.)


उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

संख्या: लेप/जेपी/मुं/प्रशा./IX/1/2014/5879

दिनांक: 28-01-2014

प्रतिलिपि:- सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय आदेश पंजिका।
2. सचिव, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर।
3. सचिव, उपनिदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर प
4. सभी शाखाधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, **AAO, I.T. जयपुर**

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)